तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28.7.23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार धन्नालाल आ० रामनारायण ने प्रतिवादीगण अंजना पत्नी चौथमल को खसरा सं. 8 रकबा 1.3510 हैक्टेयर मे से 0.4574 है० भूमि बेचान कर दिया, जिसकी तरमीम गलत दर्ज हो रखी है, नवीन खसरा सं. 471/8 है जिसकी संशोधित तरमीम पटवारी रिपोर्ट में नजरी नक्शा बनाकर दर्शायी गयी है। अतः निवेदन किया कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अंजना के कब्जे काश्त अनुसार तरमीम शुद्ध की जाने में कोई आपत्ति नही है। वकील वादी ने अपनी एकपक्षीय बहस मे निवेदन किया कि तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने से इस सम्पूर्ण वाद का निस्तारण हो जायेगा तथा मौके पर विवाद समाप्त हो जायेगा। वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद पत्र में वादी की याचना के अनुसार मौके पर विभाजन की आवश्यकता नही [illegible] से याचना [illegible] जारी नही किये [illegible] कोई आपत्ति नही है। अतः वकील वादी ने निवेदन किया कि तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:14:31 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार तरमीम शुद्ध की जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

हमने वादपत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां ने भी अपनी रिपोर्ट में तरमीम शुद्ध की जाने में अनापत्ति जाहिर की है। अतः वादी का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम मानपुरा पटवार मण्डल डोडी तहसील नैनवां की खाता सं. 105 की भूमि खसरा सं. 471/8 रकबा 0.4475 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार नैनवां के पत्रांक 91/LR/23 दिनांक 21.6.23 के साथ संलग्न पटवारी डोडी की रिपोर्ट में दर्शाये गये नजरीनक्शा के अनुसार संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पटवारी डोडी की रिपोर्ट दिनांक 2.6.2023 में दर्शाये गए नजरी नक्शा को परिशिष्ट "क" नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 13:14:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

आज दिनांक 2/06/2023 को प.म. डोडी के ग्राम मानपुरा में पहुँचा जहाँ पर वादी धन्नालाल s/o. रामनारायण प्रतिवादीगण अंजना पत्नि चौथमल को खसरा संख्या 8 रकबा 1.3510 हैक्टर, भूमि में से ~~भमि~~ 0.4575 हैक्टर भूमि बेचान कर दिया, जिसकी वर्तमान मे तरमीम कब्जाकाश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज हो रखी है। जिसका खसरा नम्बर 471/8 है। अत: श्रीमान जी वर्तमान कब्जाकाश्त के अनुसार निम्न नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम दुरुस्त करना उचित होगा।

परिशिष्ट - "क"

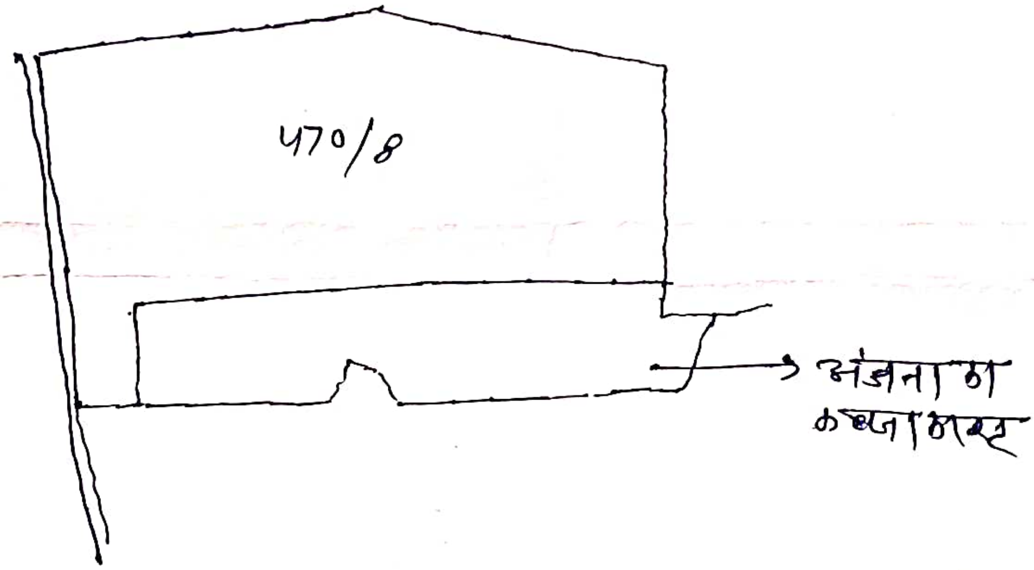

इस नजरी नक्शे में दर्शाए अनुसार अंजना का कब्जाकाश्त है। वादी और प्रतिवादि इस नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम करवाने के लिए आपस में सहमत है।

मौका पर्चा पढ़कर सुनाया गया व वादी व प्रतिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये।

धन्ना

साबुलाल   चौथमल

अंजना

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

02/06/2023
पटवारी डोडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:14:31 IST
Reason: SelfAttested